आदि शंकराचार्य आम्नाय पीठ महानुशासन मनीषी परिषद् (प) ®

Dt. 8/31/2026, नई दिल्ली

प्रति,
पूज्य श्री श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामीजी, शृंगेरी, चिक्कमगलुरु जिला, कर्नाटक – 577 139.

एवं सूचनार्थ:
प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर), श्री शृंगेरी मठ, शृंगेरी, कर्नाटक – 577 139. adminoffice@sringeri.net, seva@sringeri.net)
श्री विधुशेखर भारती, शृंगेरी।

विषय: वर्तमान समाज में सामान्य जनता के बीच भ्रम और अनेक प्रकार के विवादों को जन्म देने वाले एक विवाह निमंत्रण पत्र—जिसमें "श्री विधुशेखर भारती" का नाम "जगद्गुरु" के रूप में उल्लेखित करते हुए उनके आशीर्वाद से एक हिंदू युवक और एक मुस्लिम युवती का विवाह (दिनांक 04-09-2026, कीसरागुट्टा, तेलंगाना) होने की बात कही गई है—के विषय में 48 घंटे के भीतर आपसे आपातकालीन स्पष्टीकरण, तथा मठ परंपराओं एवं अन्य विषयों पर भी शास्त्रसम्मत प्रमाणों के साथ स्पष्टीकरण मांगने हेतु। यदि 48 घंटे के भीतर आपकी ओर से कोई संतोषजनक और प्रमाणिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि यह अवैदिक हिंदू-मुस्लिम विवाह और अन्य अवैदिक कार्य आपकी अनुमति से ही अधर्मपूर्वक हो रहे हैं।

आदरणीय श्री भारती तीर्थ स्वामीजी,

सनातन धर्म के विरुद्ध, वर्तमान समाज में हिंदू सामान्य भक्तों को भ्रमित करते हुए, "हिंदू-मुस्लिम" के बीच विवादों और चर्चाओं को बढ़ावा देने वाले श्री विधुशेखर भारती के आशीर्वाद से युक्त "एक हिंदू युवक, एक मुस्लिम युवती" के "विवाह निमंत्रण पत्र" के विषय पर श्री शृंगेरी मठ प्रबंधन एवं श्री भारती तीर्थ स्वामीजी के संज्ञान में यह पत्र अत्यंत आवश्यक रूप से लिखते हुए, तत्काल कार्रवाई तथा संतोषजनक एवं स्पष्ट उत्तरों के लिए, 2500 वर्ष पुरानी आदि शंकराचार्य जी की आम्नाय पीठों, परंपरा, संन्यास परंपरा इत्यादि विषयों पर लिखित स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। विवाह निमंत्रण पत्र पर आपातकालीन स्पष्टीकरण: कीसरागुट्टा स्थित श्री रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में चि. हरीश और चि. ल. सौ. रुक्साना (मोहम्मद नुरुद्दीन और रहमत बी की पुत्री) के बीच (04-09-2026 को) होने वाले विवाह से संबंधित एक निमंत्रण पत्र हर जगह प्रचारित किया जा रहा है। हमारी संस्था में भी कुछ लोगों ने शिकायत की है। उस पत्र में श्री विधुशेखर भारती को "जगद्गुरु के रूप में उनके आशीर्वाद से..." स्पष्ट रूप से मुद्रित किया गया है। इस विषय पर हम निम्नलिखित बिंदुओं पर अत्यंत आवश्यक रूप से स्पष्टीकरण मांगते हैं:

क्या आपने "विवाह" के नाम पर होने वाले इस पूरी तरह से अवैदिक, अप्रामाणिक और धर्म-विरुद्ध कार्य के लिए कोई अनुमति दी है? क्या आपको यह जानकारी भी है कि "तेलंगाना" में ऐसा कोई विवाह संपन्न हो रहा है? इस विवाह निमंत्रण पत्र पर श्री विधुशेखर भारती स्वामीजी के नाम के आगे "जगद्गुरु" मुद्रित करके, उसके बाद इस विवाह हेतु उनके आशीर्वाद की बात लिखी गई है। इस विषय पर क्या शृंगेरी मठ के प्रबंधकों, श्री भारती तीर्थ स्वामीजी या श्री विधुशेखर भारती से किसी प्रकार की अनुमति या आशीर्वाद लिया गया है? क्या आपने ऐसी कोई अनुमति दी है? क्या उस "हिंदू-मुस्लिम" युवती-युवक को ऐसा कोई आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? क्या चि. हरीश आपके मठ का भक्त है? क्या वह कभी प्रत्यक्ष रूप से विधुशेखर भारती से मिला है? क्या यह विषय शृंगेरी मठ के संज्ञान में या श्री भारती तीर्थ स्वामीजी, विधुशेखर भारती, उनके पीए (PA), पीएस (PS) या मठ के अधिकारियों के ध्यान में ईमेल, डाक या किसी अन्य रूप में (फोन कॉल/व्हाट्सएप संदेशों) द्वारा आशीर्वाद हेतु किसी प्रार्थना या पत्र के रूप में आया है? या ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से आपके आशीर्वाद के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है?

अथवा क्या तेलंगाना में आपके मठ के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने, या तेलंगाना में आपकी शाखा मठों के लोगों ने ऐसा कोई पत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास लाया या समर्पित किया है? क्या ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया है? यदि आया है तो कब, और उस पर आपने क्या कार्रवाई की है? यदि अनजाने में बिना देखे मठ स्वामीजी के पीए, पीएस, मठ के सीईओ या कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से कुमकुम, प्रसाद, या आशीर्वाद पत्र जैसी कोई वस्तु भेजी गई है? तेलंगाना राज्य में आपके

मठ के अधिकृत प्रतिनिधि कौन हैं? उनके पूर्ण विवरण और कर्तव्य क्या हैं? यदि आपने इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी है, तो विधुशेखर भारती के नाम पर उन्हें "जगद्गुरु" बताकर स्वामीजी के नाम का अवैध उपयोग करने के विरोध में, तथा भक्तों के संदेह को दूर करने हेतु ऐसे अवैदिक कार्य का खंडन करते हुए 48 घंटे के भीतर मठ की ओर से एक आधिकारिक वक्तव्य/स्पष्टीकरण जारी करने का विनीत अनुरोध करते हैं।

यदि यह विषय आपके संज्ञान में आया, तो कब आया? इस पर आपने क्या उत्तर दिया? खंडन किया, आशीर्वाद दिया, या मौन रहे? फिर कभी कोई भी, कहीं भी ऐसा कार्य न करे, इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, यह भी बताएं।

श्लोक 52: विरुद्धाचरणप्राप्तावाचार्याणां समाज्ञया। लोकान् संशीलयन्त्यैव स्वधर्माप्रतिरोधतः॥

अनुवाद: आचार्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों का निरंतर अवलोकन करना चाहिए। लोगों को धर्म के विरुद्ध आचरण करने से रोकना चाहिए। अपने सौंपे गए क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण करते हुए, लोगों को अपने स्वधर्म के विपरीत नहीं, बल्कि शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग पर चलने हेतु मार्गदर्शन करना चाहिए।

श्लोक 54: : वर्णाश्रमसदाचारा अस्माभिर्ये प्रसाधिताः। रक्षणीयाः सदैवैते स्व-स्व भागे यथाविधि॥

अनुवाद: मनु महर्षि जैसे महात्माओं द्वारा निर्दिष्ट धर्म नियमों को हमने भाष्य और प्रकरण ग्रंथों में स्वीकार कर पुनः स्थापित किया है। हमारे द्वारा स्थापित वर्णाश्रम धर्म—चार वर्ण और चार आश्रम—की रक्षा आचार्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में सदैव पूरी निष्ठा से करनी चाहिए।

श्लोक 55: यतो विनष्टिर्महती धर्मस्यास्य प्रजायते मान्द्यं सन्त्याज्यमेवात्र दाक्ष्यमेव समाश्रयेत्॥

अनुवाद: वैदिक आर्य धर्म मानव धर्म, वर्णाश्रम धर्म और मोक्ष धर्म का संगम है। यह सभी के लिए सदैव कल्याणकारी है। परंतु संकीर्ण सोच वाले लोगों के कारण इसका ह्रास हो रहा है। अतः ऐसे विचारों को त्यागकर धर्मनिष्ठ और सदाचारी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

श्लोक 63: एक एवाभिषेच्यः स्यादन्ते लक्षणसम्मतः। तत्तत्पीठे क्रमेणैव न बहु युज्यते क्वचित्॥

अनुवाद: केवल "एक" योग्य विप्र संन्यासी को ही उस पीठ के नए आचार्य के रूप में अभिषिक्त और नियुक्त किया जाना चाहिए। एक ही पीठ पर एक से अधिक संन्यासियों को अभिषिक्त या नियुक्त करना पूरी तरह से अनुचित और निषिद्ध है। एक ही पीठ पर एक ही समय में दो पीठाधिपति या दो शंकराचार्य होना संभव नहीं है। एक पीठ के लिए एक से अधिक संन्यासियों की नियुक्ति, अभिषेक या समानांतर स्थिति पूरी तरह से वर्जित है।

इस प्रकार का आचरण धर्म-विरुद्ध, श्री आदि शंकराचार्य जी के आदेशों और मठ के नियमों के विपरीत है।

श्लोक 69: चातुर्वर्ण्य यथायोग्यं वाङ्मनः कायकर्मभिः। गुरोः पीठं समर्चेत विभागानुक्रमेण वै॥

श्लोक 71: धर्मो मूलं मनुष्याणां स चाचार्यावलम्बनः। तस्मादाचार्यसुमणेः शासनं सर्वतोऽधिकम्॥

अनुवाद: यही धर्म व्यवस्था है। यही ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण है; दूसरे शब्दों में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व इसी धर्म व्यवस्था पर आधारित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास और नीतिशास्त्रों का गहन अध्ययन एवं परीक्षण करके सनातन वर्णाश्रम धर्म की रक्षा हेतु इस ग्रंथ की रचना की गई है। अतः इसमें निर्दिष्ट धर्म व्यवस्था का पालन आचार्य और राजा दोनों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए।

मठ परंपराओं और उपाधियों का दुरुपयोग: हमारी सनातन धर्म परंपराओं के अनुसार, आदि शंकराचार्य जी के 2500 वर्ष पुराने मठाम्नाय महानुशासन के अनुसार एक मठ में केवल एक ही प्रमुख होते हैं, होने चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान में पूज्यश्री भारती तीर्थ स्वामीजी प्रमुख हैं। उनके प्रमुख रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए समानांतर रूप से "जगद्गुरु" या "शंकराचार्य" जैसी उपाधियों का उपयोग करना परंपरा के विरुद्ध है। ऐसे समय में मठाम्नाय महानुशासन के विरुद्ध, शृंगेरी मठ की परंपरा और धर्म के विरुद्ध, तथा आदि शंकराचार्य जी के आदेशों के विरुद्ध आचरण करना आचार्यों के आदेशों का उल्लंघन है। इस पर अपने उत्तर और प्रश्नों का लिखित स्पष्टीकरण दें।

पूर्व में भेजे गए ज्ञापनों पर स्पष्टीकरण: अतीत में आपको भेजे गए कई नोटिसों (https://mathamnayamanishiparishad.org/en_US/public-notice-regarding-sringeri-math/) पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आपको धर्माचार्य के रूप में किस आधार पर स्वीकार किया जाए?

आदि शंकराचार्य के कालक्रम पर स्पष्टता: आदि शंकराचार्य जी द्वारा चतुराम्नाय मठों की स्थापना किए 2500 वर्ष हो चुके हैं, फिर शृंगेरी मठ इसे केवल 1200 वर्ष पुराना बताकर असत्य क्यों फैला रहा है?
2500 वर्ष पुरानी वैदिक सनातन आदि शंकराचार्य जी की मूल परंपरा को नकारकर, विदेशी अंग्रेजों, मैकाले और नेहरू जैसे लोगों के कथनों को प्रामाणिक मानकर 2500 वर्ष की मूल परंपरा के विरुद्ध आचरण क्यों किया जा रहा है? इसे 1200 वर्ष सिद्ध करने के लिए

अनेक विद्वानों से गलत पुस्तकें क्यों लिखवाई जा रही हैं, गलत प्रवचन और असत्य क्यों बुलवाया जा रहा है?
संन्यास के नियम: वैदिक परंपरा में 'परमहंस परिव्राजक दंड संन्यास' ग्रहण करने की पात्रता केवल ब्राह्मणों के लिए विहित है। ऐसे में एक वैश्य व्यक्ति "उपेश बाबू" (जिन्हें वामनाश्रम नाम दिया गया) को संन्यास दिलाकर एक तरफ वैश्य समाज और दूसरी तरफ दशनामी संन्यास परंपरा एवं मर्यादा को भ्रष्ट क्यों किया जा रहा है?
श्री चंद्रमौलेश्वर लिंग के विषय में असत्य: आदि शंकराचार्य जी ने प्रत्येक आम्नाय मठ को एक-एक श्री चंद्रमौलेश्वर लिंग प्रदान किया था। फिर शृंगेरी में दो चंद्रमौलेश्वर लिंग कैसे आ गए? वास्तव में मूल चंद्रमौलेश्वर लिंग कौन सा है और वह कहाँ स्थित है?

इन विषयों पर 48 घंटे के भीतर शृंगेरी मठ की ओर से एक आपातकालीन विवरणात्मक उत्तर के साथ वक्तव्य जारी करने का अनुरोध है।

संलग्नक: Original (Telugu)

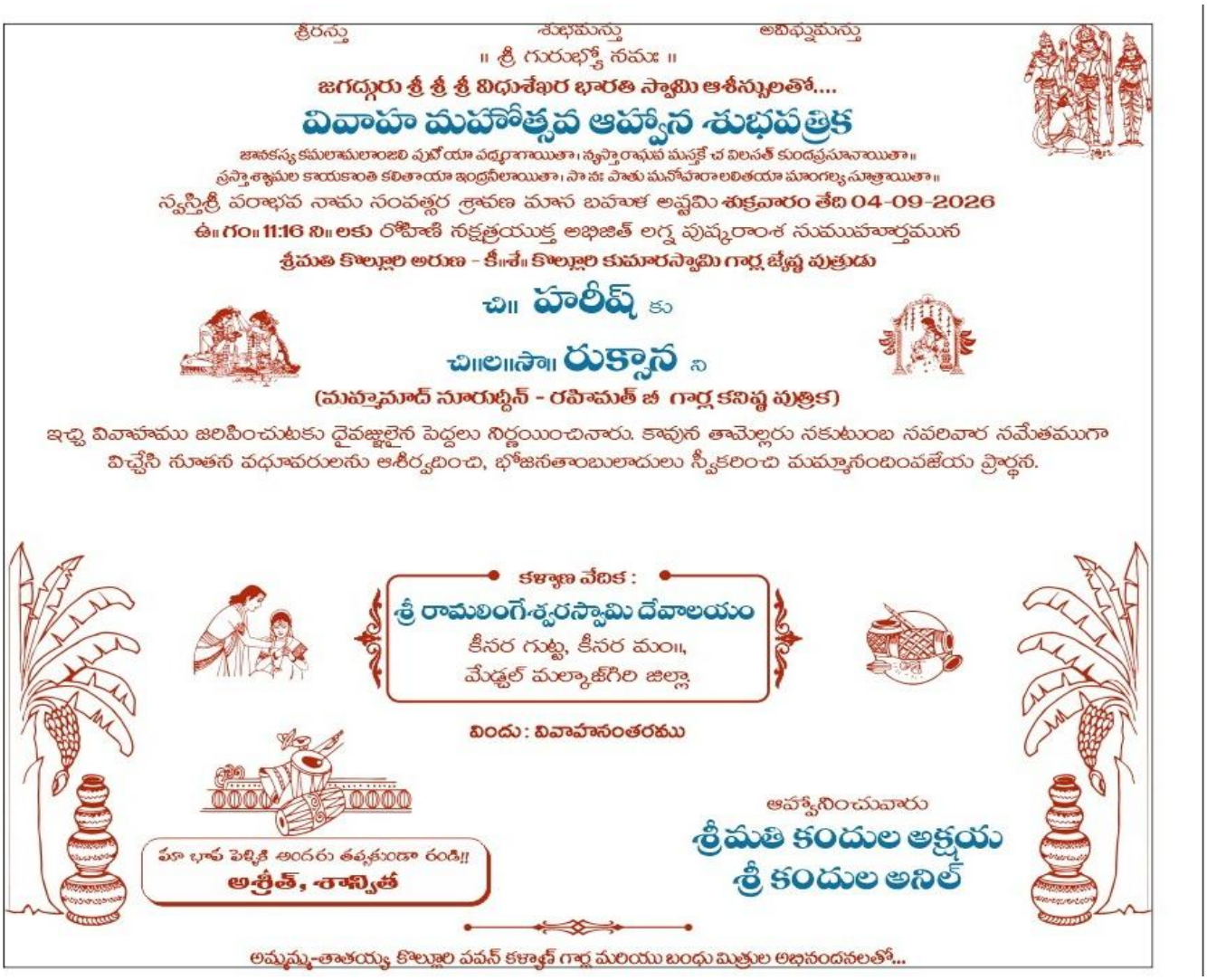

प्रति पुरी गोवर्धन मठ , ओडिशा

Hindi Translation (Abstract from original telugu invitation)

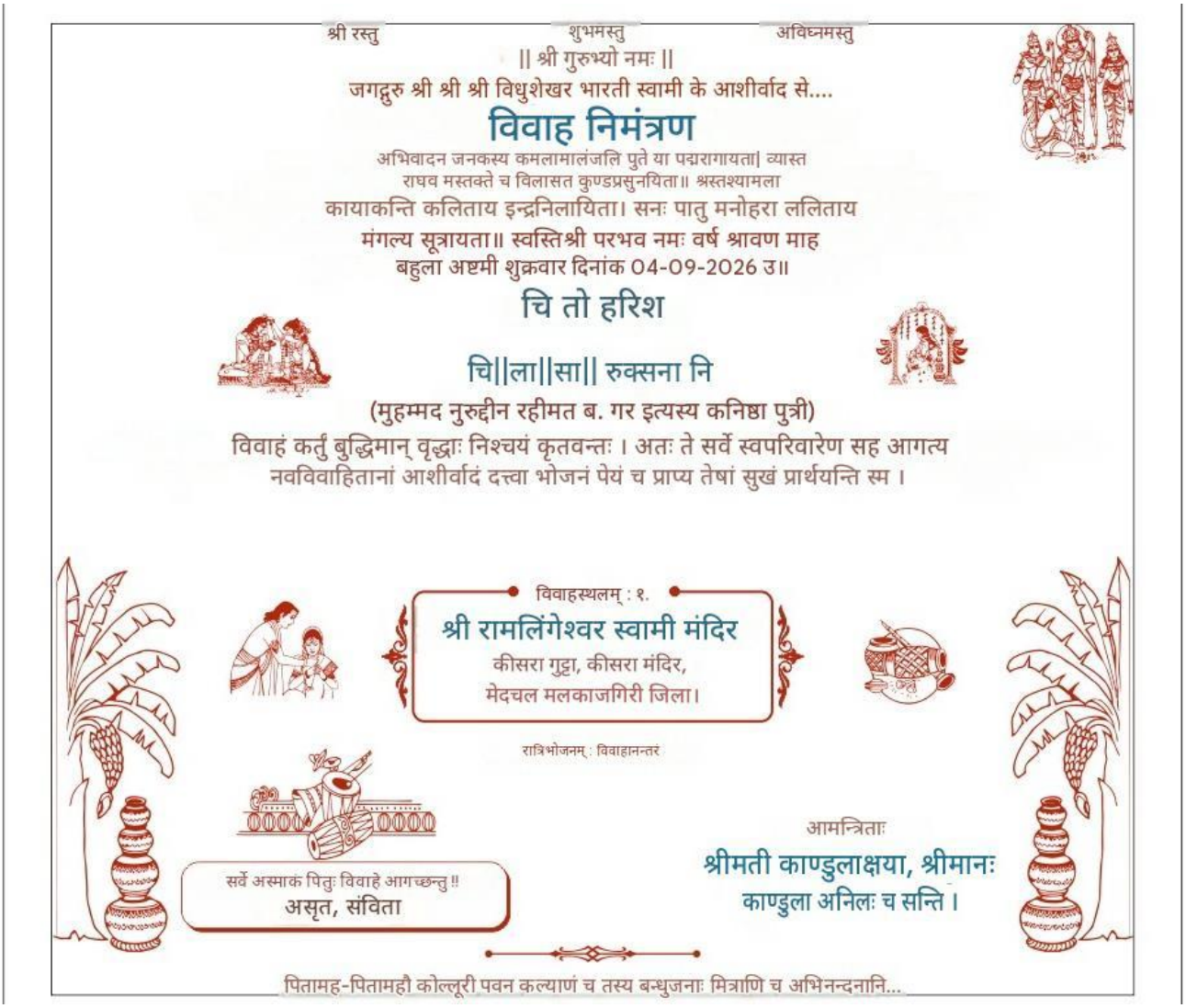

With Pranama's,
Office In charge ASMMMP Trust

Office: No. 114, Top Floor, Satya Niketan, New Delhi – 110021
www.mathamnayamanishiparishad.org , mathamnayamanishiparishad@gmail.com